

बिहार शिक्षा परियोजना
शिक्षा भवन, करमगंज,
दरभंगा-846001



Bihar Education Project
Shiksha Bhawan, Karamganj,
Darbhanga-846001

पत्रांक४३४.....

र.ला. के दस्तावेज़ की संक्षिप्त विवरण
 दरभंगा शिक्षा एवं सलै शिक्षा अधिकारी,
 बिहार शिक्षा परियोजना, दरभंगा।
 वा. मे,

आध्यक्ष/व्यवस्थापक/प्रबंधक

सदर ट्रैसा एकेडमी, कोटीपुर

दरभंगा, दिनांक ०६/०७/ 2017 ई० ।

विषय: बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 की धारा-18 के प्रयोजनार्थ बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली के नियम 11 के उपनियम 5 के अंतर्गत विद्यालय की प्रस्तीकृति का प्रमाण पत्र के संबंध में।

उपर्युक्त विषयक आपके आवेदन-पत्र एवं विद्यालय विरीक्षण प्रपत्र के आधार पर

सदर ट्रैसा एकेडमी, कोटीपुर, दरभंगा

नाम एवं पूरा पता) कक्षा-। से कक्षा-८ संचालन हेतु पत्र ०१/०५/१७ से तीन

दिन औपबंधिक प्रस्तीकृति प्रदान की जाती है।

इस प्रस्तीकृति विषय शर्तों के अनुसार इसके अधीन होते हैं :-

प्रस्तीकृति किसी भी परिस्थिति में कक्षा-८ तक की सीमा के बाहर आन्य नहीं होगा। विद्यालय बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 तथा बिहार राज्य मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली, 2011 का अनुयालन आवश्यक रूप से सुविश्चित करेंगे।

विद्यालय अपनी कक्षा । में बच्चों के नामांकन की कुल क्षमता का २५ प्रतिशत बच्चों का नामांकन अपने पड़ोस के कमजोर वर्ग एवं अलाभकारी समूह के बच्चों का करेगा तथा उन्हें मम्पत एवं अनिवार्य प्रारम्भक शिक्षा उसकी पूर्णता तक प्रदान करेगा, परन्तु कहा कि यादें विद्यालय जैसे प्राथमिक कक्षाओं का संचालन हो रहा है, तो इस मानक ने अनुयालन धूर्व प्राथमिक कक्षा के लिए भी किया जायेगा। अलाभकारी समूह के बच्चे ने अभिप्राय है कि अनुयालित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अत्यन्त पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक बच्चे एवं कमजोर वर्ग के बच्चों से तात्पर्य यह है कि सामान्य समूह के बच्चे (अनुयालित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अत्यन्त पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक को छोड़कर), जिनके माता-पिता के वार्षिक आय २ लाख रु० से कम है।


कठिनता ३ में उद्दृत लक्ष्यों के मापदंडों में विद्यालय को लक्ष्यों तकी मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम की धारा 12 को उपधारा 2 के आलोक में निर्धारित राशि की प्रतिपूर्ति की जायेगी। प्रतिपूर्ति की जानेवाली राशि की प्राप्ति के लिए विद्यालय अंलग से बैंक खाता का संधारण करेगा।

सोसाईटी/विद्यालय के द्वारा किसी प्रकार का कैपिटेशन फीस नहीं प्राप्त किया जायेगा तथा किसी भी बच्चा, उसके माता-पिता या अधिभावक तक सुनीजिंग ट्रैस्ट जहाँ किया

प्राप्ति देना चाहिए।



6. विद्यालय किसी बच्चे के नामांकन से उसके उम्र प्रमाण पत्र के अनुपलब्धता, नामांकन की विस्तारित अवधि के बाद धर्म, जाति, जन्म स्थान आदि कारणों या इसमें से किसी एक कारण के आधार पर झंकार नहीं कर सकेगा।
7. विद्यालय के द्वारा निम्न कार्य सुनिश्चित किये जायेंगे :-
 - (i) किसी भी नामांकित बच्चे को किसी भी कक्षा में रोककर नहीं रखा जायेगा और न ही किसी नामांकित बच्चा को प्रारम्भिक शिक्षा पूरी होने तक विद्यालय से निष्कासित किया जायेगा।
 - (ii) किसी भी बच्चे को किसी प्रकार का शारीरिक दंड नहीं दिया जायेगा तथा मानसिक रूप से एताहित नहीं किया जायेगा।
 - (iii) किसी भी बच्चे को प्रारम्भिक शिक्षा पूरी करने के लिए किसी भी प्रकार के बोर्ड परीक्षा पास करने की आवश्यकता नहीं होगी।
 - (iv) प्रारम्भिक शिक्षा पूरी करने वाला प्रत्येक बच्चे को नियम 22 के आलोक में प्रमाण पत्र प्रदान किया जायेगा।
 - (v) अधिनियम के प्रावधानों के आलोक में विकलांग/विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का समावेशन किया जायेगा।
 - (vi) शिक्षकों का नियोजन अधिनियम की धारा 23 की उपधारा 1 में उनके लिए निर्धारित व्यूनतम योग्यता के अनुरूप किया जायेगा, परन्तु यह कि अधिनियम के लागू होने के समय वर्तमान में कार्यरत वैसे सभी शिक्षक, जो निर्धारित व्यूनतम योग्यता नहीं धारित करते हैं, वे 5 वर्षों के अंदर निर्धारित व्यूनतम योग्यता प्राप्त कर लेंगे।
 - (vii) शिक्षक अधिनियम की धारा 24 की उपधारा 1 में प्रावधानित शिक्षकों के दायित्व का निर्वहन करेंगे।
 - (viii) शिक्षक निजी-स्तर पर किसी भी प्रकार की शिक्षण-गतिविधि में संलग्न नहीं होंगे।
8. विद्यालय राज्य प्रकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम एवं पाठ्यचर्या का अनुसरण करेगा।
9. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 के प्रावधानों के आलोक में उपलब्ध सुविधाओं के अनुपातिक रूप से छात्रों का नामांकन करेगा।
10. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में उद्धृत मानकों एवं मानदंड के अनुसार विद्यालय में निम्न सुविधाओं का रहना अनिवार्य है :-
 - विद्यालय का अपना परिसर
 - वर्गकक्षों की संख्या : 30 छात्र पर एक वर्ग कक्ष
 - प्रधानाधिक-सह-कार्यालय-सह-भंडार कक्ष
 - बालक तथा बालिकाओं के लिए अलग अलग शौचालय
 - पेयजल की सुविधा
 - मध्याहन भोजन के लिए रसोई घर
 - बाधारहित पहुंच
 - शिक्षण अधिगम सामग्री/खेल-कूद उपकरण/पुस्तकालय



फोन एवं फैक्स - 06272-254056

बिहार शिक्षा परियोजना
शिक्षा भवन, करमगंज,
दरभंगा—846001



Bihar Education Project
Shiksha Bhawan, Karamganj,
Darbhanga-846001

11. कोई भी अप्रस्वीकृत वर्गकक्ष विद्यालय परिसर में या बाहर विद्यालय के नाम से संचालित नहीं होगा।
12. विद्यालय भवन अथवा अन्य संरचनाएँ अथवा मैदान का उपयोग केवल शिक्षा तथा कौशल विकास के लिए होगा।
13. विद्यालय सोसाईटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अंतर्गत निर्बंधित सोसाईटी के द्वारा अथवा किसी निर्धारित समय में लागू कानून के तहत गठित किसी पब्लिक ट्रस्ट के माध्यम से संचालित होगा।
14. विद्यालय किसी व्यक्ति, समूह अथवा व्यक्तियों के संघ अथवा किसी अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए संचालित नहीं होगा।
15. लेखा का अंकेक्षण एवं उसका प्रमाणीकरण चार्टर्ड एकाउन्टेंट के द्वारा किया जायेगा और निर्धारित नियमों के आलोक में उपर्युक्त लेखा विवरणी तैयार की जायेगी। प्रत्येक लेखा विवरणी की एक प्रति प्रतिवर्ष जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को भेजी जायेगी।
16. आपके विद्यालय को आवंटित प्रस्तीकृति कोड संख्या106/17..... है। इस कार्यालय से किसी प्रकार का पत्रागार करने में इस कोड को कृपया अकित एवं उद्धृत किया जाय।
17. निदेशक, प्राथमिक शिक्षा/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के द्वारा समय-समय पर मांग किये गये प्रतिवेदन एवं सूचनायें, विद्यालय के द्वारा उपलब्ध कराई जायेंगी और राज्य सरकार के रूप से प्रस्तीकृति की शर्तों के लगातार रूप से पूरा करने की सुनिश्चितता हेतु अथवा विद्यालय संचालन से संबंधित कठिनाईयों को दूर करने हेतु समय-समय पर निर्णय अनुदेशों का अनुपालन विद्यालय के द्वारा किया जायेगा।
18. यदि सोसाईटी के निर्बंधन के नवीकरण की किसी प्रकार की आवश्यकता है तो उसे सुनिश्चित किया जाय।
19. यह प्रस्तीकृति अस्थायी है। तीन वर्ष के अंदर आपके द्वारा अधिनियम की शर्तों को पूरा नहीं किया जाता है तो प्रस्तीकृति का नवीकरण नहीं किया जायेगा।

विश्वासभाजन,

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा एवं सर्व शिक्षा अभियान,
बिहार शिक्षा परियोजना, दरभंगा।